मानननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक : /2017 निगरानी R 838-PB2-17

बतुलबाई विधवा मुंशी खां, (मृत)
निवासी– ग्राम मुण्डलाय तह. गुलाना जिला
शाजापुर (म.प्र.) ----- निगरानीकर्ता

--- विरूद्ध ---

1 सत्तार खां पिता मुंशी खां
2 अजीज खां पिता मुंशी खां
3 हकीम खां पिता वजीर खां
4 अय्युब खां पिता गुलाब खां
5 रमजान पिता रहीम खां
निवासीगण– ग्राम मुल्लाखेड़ी तह. व जिला
शाजापुर (म.प्र.)
6 हरीसिंह पिता केशरिया
7 मानसिंह पिता केशरिया
निवासीगण– ग्राम सांपखेड़ा तह. व जिला
शाजापुर (म.प्र.)
8 रसुल खां पिता मुंशी खां
9 बशीरन बी पति नत्थे खां
निवासीगण– ग्राम मुल्लाखेड़ी तह. व जिला
शाजापुर (म.प्र.)
10 बाबु खां मृत वारिस
अ गनी खां पिता बाबु खां
ब पीरू खां पिता बाबु खां
स हकीम खां पिता बाबु खां
निवासीगण– ग्राम मुल्लाखेड़ी तह. व जिला
शाजापुर (म.प्र.)
11 मुटरू खां पिता बाबु खां
निवासी– रसुलपुर तह. मोहन बड़ौदिया
जिला शाजापुर (म.प्र.)
12 रहीम खां पिता रूस्तम खां मृत वारिसान
अ पप्पू पिता रहीम खां
ब शफीक खां पिता रहीम खां
स रईस खां पिता रहीम खां

निरंतर.........2

द सईद खां पिता रहीम खां
य अरब पिता रहीम खां
र कलसुम पति रहीम खां
ल आमना पति रहीम खां
निवासीगण– ग्राम मुल्लाखेड़ी तह. व जिला शाजापुर
13 वहीद खां पिता रूस्तम खां मृत वारिसान
अ युसुफ खां पिता वहीद खां
ब ईजराईल पिता वहीद खां
स रज्जाक खां पिता वहीद खां
द अमीनाबाई पत्नि वहीद खां
निवासीगण– ग्राम मुल्लाखेड़ी तह. व जिला शाजापुर
14 हकीम खां पिता अब्दुल खां
15 सलीम खां पिता अब्दुल खां
16 खातून बी विधवा अब्दुल खां
17 वहीद खां पिता नामदार खां
निवासीगण– ग्राम मुल्लाखेड़ी तह. व जिला शाजापुर (म.प्र.)
18 मध्यप्रदेश शासन द्वारा पटवारी ग्राम मुल्लाखेड़ी तह. व जिला शाजापुर (म.प्र.)

विलोपित, ------- प्रत्यर्थीगण

न्यायालय अपर आयुक्त महोदय संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 709/2014–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 04/03/2017 के विरूद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता –

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

संक्षिप्त तथ्य

यह कि, निगरानीकर्ता एवं प्रत्यर्थीगण के नाम से संयुक्त कृषि खाता नंबर 247 स्थित ग्राम मुल्लाखेड़ी में राजस्व रिकार्ड वर्ष 2004–2005 के अनुसार विभिन्न सर्वे नंबरों का कुल रकबा 42.51 हेक्टेयर रहा है उक्त सर्वे नंबरान के

निरंतर.....3

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-838-पीबीआर/17 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/8/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 709/14-15/अपील में पारित आदेश दिनांक 04.03.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक की पूर्वाधिकारी बतुलबाई द्वारा ग्राम मुल्लाखेड़ी स्थित भूमि कुल किता 21 रकवा 12.51 हे. में 33 पैसा हिस्सा होने से संहिता की धारा 178 के तहत एक आवेदन-पत्र तहसीलदार शाजापुर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30.05.2007 द्वारा सभी सहखातेदारों के मध्य भूमि का बंटवारा स्वीकार किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्र. 1 लगायत 5 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 7 वर्ष से अधिक समय के विलंब से अपील पेश की गई। जो उनके आदेश दिनांक 18.05.2015 द्वारा अमान्य की गई। जिसके विरुद्ध अनावेदक क्र. 1 लगायत 5 द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 04.03.2017 द्वारा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकॉर्ड के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है। 4/ उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण बंटवारे का है जो मृतक बतुलबाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार ने अपना आदेश पारित	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं [illegible] आदि के हस्ताक्षर
	करने के पूर्व भूमि के अन्य सहखातेदारों के अतिरिक्त, अनावेदक क्र. 1 लगायत 5 जिनके द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, को भी विधिवत आहुत किया गया है और इस संबंध में सूचना-पत्र उनके अभिलेख के पृष्ठ 15 लगायत 33 तक संलग्न हैं। अतः अपर आयुक्त द्वारा यह कहना कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया अभिलेख के विपरीत है। तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा विधिवत पटवारी से फर्द बुलाई गई है तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द के आधार पर बंटवारे का आदेश दिया गया है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा फर्द को देखने से स्पष्ट है कि बंटवारे में आवेदिका के अतिरिक्त भूमि के अन्य सभी सहखातेदारों जिनमें अनावेदक क्र. 1 लगायत 5 भी शामिल हैं, को उनके हिस्से के मान से भूमि दी जाकर बंटवारा स्वीकार किया गया है इस तथ्य को अपर आयुक्त द्वारा पूर्णतः अनदेखा किया गया है। 5/ अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्र. 1 लगायत 5 द्वारा 7 वर्ष से अधिक समय उपरांत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो उन्होंने विलंब के दिन-प्रतिदिन का कारण न दर्शाए जाने के कारण अमान्य की गई है। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा विलंब के बिन्दु पर कोई निष्कर्ष नहीं दिए गए हैं और बिना निष्कर्ष निकाले अपील को गुण-दोष पर स्वीकार किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में यह तथ्य भी आया है कि अनावेदक क्र. 1 लगायत 5 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय में व्यवहारवाद प्रस्तुत किया गया है। व्यवहारवाद में अनावेदक क्र. 1 लगायत 5 का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 शाजापुर द्वारा आदेश दिनांक 04.02.15 द्वारा निरस्त किया गया है तथा उक्त व्यवहारवाद निराकरण हेतु अभी लंबित है। स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय का आदेश अंतिम होगा जो पक्षकारों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों पर भी बंधनकारी होगा। इस तथ्य को भी	

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-838-पीबीआर/17 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अपर आयुक्त द्वारा अनदेखा किया गया है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा विचारण एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है। इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2017 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2015 एवं तहसीलदार शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2007 स्थिर रखे जाते हैं। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	